राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

दिनांक 16 मार्च 1991 को कृषि अनुसंधान निदेशालय, दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवृत :

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1. श्री राकेश हूजा (अध्यक्ष)
2. श्री एम. एल. मेहता
3. श्री सी. एस. राजन
4. डा. सुधीर वर्मा
5. श्री पी. एस. भार्गव (शिक्षा सचिव के मनोनीत प्रतिनिधि के रूप में सदस्य)
6. डा. एन. एस. रन्धावा
7. डा. आर. सी. मेहरोत्रा
8. डा. पी. आर. जटकर
9. डा. के. के. जैन
10. डा. के. बी. शर्मा
11. डा. बी. एल. बसेर
12. श्री. टी. पन्त
13. डा. वी. बी. सिंह
14. डा. जी. एस. शेखावत
15. श्री बख्तावर सिंह
16. श्री सुनील धारीवाल (सदस्य सचिव)

श्री रघुवीर सिंह कौशल ने बैठक में भाग नहीं लिया ।

कुलपति महोदय ने नये मनोनीत सदस्यों का बैठक में पहली बार भाग लेने पर स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय के उत्थान में उनका सक्रिय योगदान मिलता रहेगा ।

राकृवि/प्रबो-20/91-1/275 गत बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 1990 की बैठक के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।
निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत की पुष्टि निम्न टिप्पणी के साथ की जाय :

अ) मद संख्या राकृवि/प्रबो-19/90-5/261 के अन्तर्गत अधिष्ठाता / निदेशकों के चयन हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रस्तावित अर्हताओं पर पुनर्विचार हेतु निम्न सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था :

कुलपति
डा. के. बी. शर्मा
श्री. टी. पन्त
डा. बी. एल. बसेर
डा. वी. बी. सिंह
डा. के. के. जैन
डा. पी. आर. जटकर
श्री सुनील धारीवाल (कुलसचिव)

उक्त समिति द्वारा प्रस्तावित अर्हताओं में निम्न संशोधन सुझाये गये :

अ) आवश्यक अर्हताओं की शर्त संख्या तीन जिसमें पाँच वर्ष का कार्यानुभव माँगा गया है को संशोधित कर दो वर्ष का माना जाय ।

ब) अधिष्ठाता दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय हेतु आवश्यक अर्हताओं में डेरी टेक्नोलोजी शब्द सम्मिलित कर निम्न रूप से पढ़ा जाय :

1. Good Master's degree with good academic record and minimum of 15 years experience in teaching/research/extension in Institution of University Standard in the field of Dairy Science/ Dairy Technology. Specialised knowledge in one or more specified field with experience in guiding research.

2. Professional scientific work of outstanding merit with doctorate degree.

3. At least 2 years experience as a Professor or an equivalent post.

मण्डल की यह मान्यता थी कि अन्य संशोधित अर्हताऐं एवं मानदण्ड पूर्व में संशोधित रूप में मण्डल के निर्देशानुसार अनुमोदित माने गये हैं उक्त संशोधनों के साथ अनुमोदित माने जाये ।

राकृवि/प्रबो-20/91-1/276

मण्डल की गत बैठकें दिनांक 28.11.90 व 15.12.90 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति को आलोकित किया जाय ।

सदस्यों का यह भी मत था कि बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति अपूर्ण है । अत: यह मत रहा कि बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति जो पूर्व बैठक में बाकी बची रह जाती है और जिनकी क्रियान्विति बाकी है उनका ब्योरा भी प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इस पर सदस्यों का यह मत रहा कि मण्डल की अगली बैठक में विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक बाकी बचे निर्णयों पर जिन पर कि क्रियान्विति नहीं हुई है का एक स्पष्ट ब्यौरा प्रस्तुत कर उनकी क्रियान्विति करवाई जावे तथा मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाय। बैठक की कार्य सूचि

आम तौर पर बैठक के 15 दिन पूर्व व पूरक कार्य सूचि सात दिन पूर्व माननीय सदस्यों को प्रेषित की जाय ताकि सदस्यगण उसका समालोचनात्मक अध्ययन कर सके। केवल कोई विशेष कारण से ही अध्यक्ष उसके पश्चात् कार्य सूचि में कोई विषय शामिल होने देवें।

राकृवि/प्रबो-20/91-1/277 मण्डल की बैठक के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

निर्णय लिया गया कि आदेशों को आलोकित किया जाय तथा विश्वविद्यालय आदेश संख्या एफ 97(रिस)/राकृवि/स्था/-1/91/4769-80 दिनांक 5/6 फरवरी 1991 का पुनर्वालोकन कर संशोधित किया जाय।

राकृवि/प्रबो -20/91-1/278 वर्ष 1990-91 का पुनरिक्षितलेखा (आय व्ययक) एवं वर्ष 1991-92 का अनुमानित आय व्यय वित्त समिति की सिफारिश के साथ मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

आय व्ययक की टिप्पणी पर विचार करते समय यह राय प्रकट की गई कि इस टिप्पणी से आय व्ययक का पूरा विश्लेषण सम्भव नहीं है। बजट के आय व्यय को विभिन्न पेरामीटर के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाये। कुछ पेरामीटर निम्नांकित हैं :

1) स्थिर खर्च तथा अस्थिर खर्च ।
2) प्रति छात्र पर होने वाला खर्च
3) विभिन्न संकाय पर होने वाला खर्च
4) अनुसंधान अध्ययन एवं विस्तार पर होने वाला खर्च ।

विश्वविद्यालय के आवश्यक खर्च हेतु प्रस्तुत 1991-92 बजट के आधार पर एवं वित्त समिति की दिनांक 15 मार्च 1991 की सिफरिश के आधार पर दो माह तक खर्च करने हेतु अधिकार दिये गये। आपात स्थिति में कुलपति को अतिरिक्त खर्च करने हेतु भी अधिकृत किया गया। दो माह में विश्वविद्यालय जीरो बेस बजट के आधार पर बजट अनुमान पर पुनः विचार करके मण्डल के समक्ष रखे।

राकृवि/प्रबो-20/91-1/279 वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 पर विचार किया गया।

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि इस प्रतिवेदन को और संक्षिप्त करके विधान सभा के समक्ष रखने हेतु कुलसचिव को स्वीकृति प्रदान की जावे। भविष्य